International Journal of Sanskrit Research 2017; 3(4): 286-288

International Journal of Sanskrit Research

अनन्ता

ISSN: 2394-7519
IJSR 2017; 3(4): 286-288
© 2017
www.anantaajournal.com
Received: 28-05-2017
Accepted: 30-06-2017

डॉ0 राजश कुमार यादव
असिसटेन्ट प्रोफेसर – संस्कृत विभाग, वर्धमान कालेज बिजनौर (उ0प्र0), भारत

Correspondence
डॉ0 राजेश कुमार यादव
असिसटेन्ट प्रोफेसर – संस्कृत विभाग, वर्धमान कालेज बिजनौर (उ0प्र0), भारत

जैन दर्शन में पंच अणुव्रतों की महत्ता

डॉ0 राजेश कुमार यादव

प्रस्तावना

प्रश्नोत्तर श्रावकाचार के अनुसार स्थूल हिंसा का त्याग, स्थूल असत्य का त्याग, स्थूल चोरी का त्याग, स्थूल अब्रह्म का त्याग और स्थूल परिग्रह, इस प्रकार हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह – इन पाँचों पापों सें एक दशविरक्त होना श्रावकों के पाँच अणुव्रत कहलाते हैं।[1]

1–अहिंसाणुव्रतः–अहिंसाणुव्रत की व्याख्या विभिन्न ग्रन्थों में विभिन्न प्रकार की मिलती है– अपने हृदय को दया पालन करने में सदा तत्पर रखने वाला जो मनुष्य मन, वचन, काय से न तो कभी स्वयं त्रस जीवों की हिंसा करता है, न दूसरो से कराता है और न कभी त्रस जीवों की हिंसा में अनुमति देता है। उसके सबसे पहिला अहिंसाणुव्रत होता है। यह अहिंसा अणुव्रत अन्य सब व्रतों का मूल है।[2] गणधरादि देवों ने इस अहिंसा को सभी व्रतों की जननी बतलाया है क्योंकि यह अहिंसा समस्त जीवों का सदा हित करने वाली है।[3] अनेक मुनिराजों ने स्पष्ट शब्दों में कहा है कि मुनि और गृहस्थों के समस्त व्रतों के समूह का वर्णन केवल अहिंसा व्रत की रक्षा के लिये ही है।[4] देवता के लिए, अतिथि के लिए, पितरों के लिए, मन्त्र की सिद्धि के लिए, औषधि के लिए अथवा भय से सब प्राणियों की हिंसा नही करनी चाहिए।[5] कशाय के उदय से प्राणियों के प्राणों का कभी कहीं भी घात नहीं करना विश्व का हितकारी अहिंसा नाम का व्रत है।[6]

अहिंसाणुव्रत के अतिचारः– अहिंसा अणुव्रत के बन्ध, वध, छेद, अतिभारारोपण और अन्नपाननिरोध – ये पाँच अतिचार है। पशुओं को रस्सी आदि से मजबूत बाँध देना बन्ध नाम का पहिला अतिचार गिना जाता है। जो नीच मनुष्य, स्त्री अथवा पशुओं को लकड़ी आदि से मारते है उनको यह वध नाम का दूसरा निंद्य अतिचार लगता है। जो बुद्धिहीन कान, नाक आदि छेदा करते है उनके दुःख देने वाला यह छेद नाम का तीसरा अतिचार लगता है। जो लोभ के वशिभूत होकर पशुओं पर अधिक बोझ लाद देते हैं उसके दोष उत्पन्न करने वाला अतिभारारोपण नाम का अतिचार लगता है। जो मनुष्य अथवा पशुओं का अन्नपान रोक देता है अथवा समय पर नहीं देता उसके अन्नपाननिरोध नाम का पाँचवाँ अतिचार लगता है।[7]

2–**सत्याणुव्रतः**– जो न तो स्थूल झूठ स्वयं बोलते है न दूसरों से बुलवाते है और न किसी के द्वारा बोले हुए झूठ की अनुमोदना करते है उनके यह सत्यव्रत होता है।[8] विद्वान गृहस्थों को सबका हित करने वाला, थोड़ा और मधुर वचन कहना चाहिए। किसी की निदा नहीं करनी चाहिए और सब जीवों को सुख देनेवाले वचन कहने चाहिए।[9] असत्य वचन कह–कह कर ही दुष्ट पुरुषों ने अनेक कुशास्त्र रचकर लोगों को व्याकुल और धर्म से पराङ्मुख कर दिया है।[10] जबकि सत्य और अहिंसा का इतना अधिक घनिष्ठ सम्बन्ध है कि एक के अभाव में दूसरे की आराधना शाक्य है। ये दोनों परस्पर पूरक तथा अन्योन्याश्रित है। अहिंसा यथार्थता के सुरुप प्रदान करती है, जबकि यथार्थता अहिंसा की सुरक्षा करती है। अहिंसा के बिना सत्य नग्न अथवा कुरूप होता है जबकि सत्यरहित अहिंसा मरणोन्मुख अथवा अरक्षित होती है। अतः सत्य का महत्त्व देखते हुए मृषावाद से बचने का उपदश दिया है। किन्तु गृहस्थों के लिए स्थूल मृषावाद का त्याग ही व्रत पालन के लिए अनिवार्य माना गया है।[11]

सत्याणुव्रत के अतिचारः–मिथ्या उपदश, रहोभ्याख्यान, कूटलेखकिया, न्यासापहार और साकार–मन्त्रभेद ये सत्यव्रत में दाश लगने वाले पाँच अतिचार गिने जाते हैं। जो अपने किसी कार्य की सिद्धि के लिए अथवा द्रव्य कमाने के लिए झूठा उपदेश दिया जाता है, वह मिथ्योपदेश नाम का पहिला अतिचार गिना जाता है।

जो किसी द्रव्य के लोभ से अथवा अन्य किसी प्रयोजन से स्त्री पुरुषों के द्वारा अथवा अन्य किसी के द्वारा किये हुए छिपे कार्य को प्रकट करता है उसके वह रहोभ्याख्यान नाम का अतिचार कहलाता है। जो किसी दूसरे को ठगने के लिए झूठे लेख लिखता है उसके कूटलेखकिया नाम का तीसरा अतिचार लगता है। किसी के धरोहर रखे हुए धन में से जो थोड़ा देता है, उसमें से कुछ रख लेता है। उसके न्यासापहार नाम का चौथा अतिचार होता है। जो किसी छल कपट से अथवा किसी की चेष्टा देखकर दूसरे के हृदय की बात को जानकर उसे अन्य लोगों के सामने प्रकाशित करता है, वह सामारमन्त्र भेद नाम का पाँचवाँ अतिचार कहलाता है। जो पुरुष इन अतिचारों को छोड़कर सत्य भाषण करता है वह स्वर्गादिक के सुख भोगकर शी शीघ्र ही मोक्ष प्राप्त करता है।[12]

3–**अचौर्याणुव्रतः**– यह व्रत सब दोषों से रहित और मोक्ष देनेवाला है।[13] जो धन धान्य आदि स्थूल पदार्थों को मन, वचन, काय से बिना दिया हुआ ग्रहण नहीं करता है उसका यह अचौर्याणुव्रत कहलाता है।[14] जो रखे हुए तथा गिरे हुए अथवा भूले हुए अथवा धरोहर रखे हुए परद्रव्य को नही हरता है, न दूसरों को देता है, सो स्थूल चोरी से विरक्त होना अर्थात् अचौर्याणुव्रत है।[15] जो बहुमूल्य वस्तु को अल्पमूल्य में नही लेता, दूसरे की भूली हुई वस्तु को भी नही उठाता, थोड़े लाभ से ही सन्तुष्ट रहता है तथा कपट लोभ, माया व क्रोध से पराये द्रव्य का हरण नहीं करता, वह शुद्धमति दृढ़–निश्चयी श्रावक अचौर्याणुव्रती है।[16]

अचौर्याणुव्रत के अतिचारः– अचौर्याणुव्रत के पाँच अतिचार हैं– स्तेनप्रयोग, तदाहृतादान, विरूद्धराज्यातिक्रम, हीनाधिकमानोन्मान और प्रतिरूपक व्यवहार। चोरी करने के लिए दूसरों को उपदेश देना या चोरी के उपाय बतलाना अचौर्यव्रत स्तेनप्रयोग नाम का पहिला अतिचार है। अपने बिना किसी उपदेश के जो चोर चोरी करके लाया है उसके धन को घर में रख लेना तदाहृतादान नाम का दूसरा अतिचार है। जो राजनीति को छोड़कर व्यापार करता है और अधिक धन ग्रहण करता है उसके विरूद्ध राज्यातिक्रम नाम का तीसरा अतिचार लगता है। जो तौलने के बाँट और नापने के गज पायली आदि को लेने के लिए अधिक रखता है और देने के लिए कम रखता है उसके हीनाधिक मानोन्मान नाम का चौथा अतिचार लगता है। जो उत्तम पदार्थो में कम कीमत के पदार्थ मिलाकर चलाता है और सुवर्ण, हींग आदि कृत्रिम बनाता है, उसके प्रतिरूपक व्यवहार नाम का अतिचार लगता है। जो प्राणी इन सब अतिचारों को छोड़कर और केवल एक सन्तोष धारणकर इस अचौर्यव्रत का पालन करता है, उसके पास समस्त सम्पदा स्वयमेव आ जाती है।[17]

4–**ब्रह्मचर्याणुव्रतः**– जो अपनी स्त्री में सन्तोष रखकर अन्य स्त्रियों को माता के समान देखता है, उसके यह स्थूल शलव्रत या स्थूल ब्रह्मचर्य अथवा ब्रह्मचर्याणुव्रत होता है।[18] अष्टमी, चतुदशी आदि पर्व के दिनों में स्त्री–सेवन और सदैव अनंग क्रीड़ा का त्याग करने वाले जीवों को प्रवचन में भगवान् ने स्थूल ब्रह्मचारी कहा है।[19] जो स्त्री के शरीर को अशुचिमय और दुर्गन्धित जानकर उसके रूप लावण्य को भी मन में मोह को पैदा करने वाला मानता है तथा मन, वचन और काय से परायी स्त्री को माता, बहन और पुत्री के समान समझता है, वह श्रावक स्थूल ब्रह्मचर्य का धारी है।[20] इस चौथे ब्रह्मचर्य अणुव्रत का पालनकर जीवों को विरक्त होना चाहिए और किंपाकफल के समान परस्त्रियों का त्याग कर देना चाहिए। परस्त्री के संसर्ग से मनुष्य को कलंक लगता है और जीवनपर्यन्त अपयश को देने वाला व्रत भंग होता है।[21]

ब्रह्मचर्याणुव्रत के अतिचारः– अन्य विवाहकरण, परिग्रहीता इत्वरिकागमन, अपरिग्रहीता इत्वरिकागमन, अनंगक्रीड़ा और काम तीव्राभिनिवश ये पाँच ब्रह्मचर्याणुव्रत के अतिचार कहलाते हैं। जो अज्ञानी जीव दूसरों के पुत्र–पुत्रियों के विवाह करते हैं उनके ब्रह्मचर्य में मल उत्पन्न करने वाला अन्यविवाहकरण नाम का पहिला अतिचार लगता है। जो पुरुष रागपूर्वक किसी की विवाहिता व्यभिचारिणी की इच्छा करते है उनके शलव्रत में परिग्रहीता इत्वरिकागमन नाम का दूसरा अतिचार होता है। जो मूर्ख पतिरहित परस्त्रियों की अथवा अविवाहित वेश्या आदिकों की इच्छा करते हैं उनके व्रत में अपरिग्रहीता इत्वरिकागमन नाम का तीसरा अतिचार लगता है। जो पुरुष योनि को छोड़कर रागपूर्वक मुखादिक में क्रीड़ा करते हैं अथवा शरीर पर यत्र–तत्र क्रीड़ा करते है, उनके अनंगक्रीड़ा नाम का चौथा अतिचार लगता है। जो बुद्धिमान् कामसेवन में अत्यन्त तृष्णा रखता है और अग्नि के समान जिसे सन्तोष होता ही नहीं, उसके कामतीव्रभिनिवेश नाम का पाँचवाँ अतिचार लगता है।[22]

5–**परिग्रह परिमाण अणुव्रतः**– जो बुद्धिमान् सन्तोष धारणकर परिग्रहों की संख्या नियत कर लेते है, उनके यह पाँचवाँ परिग्रह परिमाण नाम का व्रत होता है। खेत, घर, धन, धान्य, नौकर, चाकर, घोड़ा, बैल आदि पशु आसन, शयन, वस्त्र और भांड ये गृहस्थों के दो प्रकार के परिग्रह है। गृहस्थों को पापरूप आरम्भों को घटाने के लिए इन सब परिग्रहों की संख्या नियत कर लेनी चाहिये।[23] जो लोभ कषाय को कम करके, संतोष रूपी रसायन से सन्तुष्ट होता हुआ, सबको जानकर दुष्ट तृषणा का घात करता है और अपनी आवश्यकता को जानकर धन, धान्य, सुवर्ण और क्षेत्र बगैरह का परिमाण करता है उसके पाँचवाँ अणुव्रत होता है।[24]

परिग्रह परिमाण अणुव्रत के अतिचारः– अतिवाहन, अतिसंग्रह, विस्मय, लोभ और अतिभारारोपण ये पाँच परिग्रह परिमाणव्रत के अतिचार है। घोड़े, बैल आदि को उनकी शक्ति से अधिक चलाना और मार मारकर चलाना अतिवाहन नाम का पहिला अतिचार है। लोभ के वश होकर धन धान्यादिक का अतिशय संग्रह करना अतिसंग्रह नाम का दूसरा अतिचार है। जो खरीदने योग्य पदार्थ बेच दिया हो अथवा उस खरीदने योग्य पदार्थ की प्राप्ति ही न हुई हो, उस समय लोभ के वश होकर विशाद करना अतिविस्मय नाम का तीसरा अतिचार है। जो धन प्राप्त हो जाने पर भी उसको देने अथवा खर्च करने में अत्यन्त तृष्णा करते है अथवा धन की प्राप्ति के लिए अतिशय लोभ करते है उनके लोभ नाम का चौथा अतिचार लगता है। जो निर्दय होकर न्यायमार्ग को छोड़कर बोझा लाद देते है उनके अतिभारारोपण नाम का अतिचार लगता है।[25] जो बुद्धिमान् इस परिग्रह परिमाणव्रत को धारण करता है, वह देवों के द्वारा आदर सत्कार पाकर अनुक्रम से स्वर्ग मोक्ष के सुख प्राप्त करता है।[26]

शोध उद्देयः– प्राणियों में हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील परिग्रह का त्याग करना है।

शोध निष्कर्षः– उपर्युक्त शोध से यह निष्कर्ष निकलता है कि गृहस्थों को अपने थोड़े से स्वार्थ के लिए पशु–पक्षियों को नहीं मारना–पीटना चाहिए। सदैव सत्य बोलना चाहिए। किसी की निंदा नहीं करनी चाहिए और न ही किसी के धन (वस्तु) आदि की चोरी करनी चाहिए। चोरी न करना सब दोशों से रहित और यश प्रदान करने वाला है। गृहस्थों को अपनी स्त्री में सन्तोष धारण करना चाहिए। अन्य स्त्रियों को माता या बहन के समान देखना चाहिए। गृहस्थों को रहने के लिए परिग्रहों की संख्या नियत कर लेनी चाहिए। जो गृहस्थी इन पाँचों व्रतों का पालन करता है वह इस संसार में सुख भोगता है और जो इन व्रतों का पालन नहीं करता वह कुगति अर्थात् नरक लोक को प्राप्त होता है।

सन्दर्भ ग्रन्थ तालिका

1. आचार्य सकलकीर्ति : प्रश्नोत्तर श्रावकाचार 12/63, पृ0 280, श्रावकाचार संग्रह भाग–2, पण्डित हीरालाल शास्त्री (सम्पादक

एवं अनुवादक) प्रकाशक – जैन संस्कृति संरक्षक संघ, सोलापुर, ई0 सन् 1998
2. वही 12/64–65, पृ0 280
3. वही 12/67, पृ0 280
4. वही पृ0 281
5. आचार्य सोमदेव : यशस्तिलक चम्पूगत उपासकाध्ययन, 305, पृ0 160, श्रावकाचार संग्रह भाग–2 ई0 सन् 1998
6. आचार्य पद्मनन्दि : श्रावकाचार का सारोद्धार, 3/124, पृ0 343, प्रकाशक पूर्वोक्त भाग–3, ई0सन् 2003
7. आ0सकलकीर्ति : 12/134.139, पृ0 286–287
8. वही0 13/4,पृ0 293
9. वही0 13/5, पृ0 293
10. वही0 13/20 पृ0 294
11. डॉ0वशिष्ठनारायण सिन्हा : जैन धर्म में अहिंसा, पृ0 213–214
12. आ0सकलकीर्ति 13/31.38, पृ0 295
13. वही0 14/3 पृ0 302
14. वही0 14/4 पृ0 302
15. जिनेन्द्र वर्णीः जैनेन्द्र सिद्धान्त कोश,भाग–1, पृ0 222 प्रकाशक–भारतीयज्ञान पीठ, दुर्गा कुण्ड मार्ग, वाराणसी ई0 सन् 1970,
16. वही0 पृ0 222
17. आ0सकलकीर्ति, 14/28–34, पृ0 304
18. वही0 15/4 पृ0 309
19. जिनेन्द्र वर्णी, पूर्वोक्त भाग 3, पृ0 189 प्रकाशक–भारतीयज्ञान पीठ, 18 इन्स्टीट्यूशश्नल एरिया, लोदी रोड, नई दिल्ली, ई0सन् 2004
20. वही0, पृ0 190
21. आ0सकलकीर्ति, 15/4–6, पृ0 309
22. वही0 15/44–50, पृ0 312
23. वही0 16/4–6, पृ0 320
24. जिनेन्द्र वर्णी पूर्वोक्त, पृ0 26
25. आ0सकलकीर्ति, 16/46–51, पृ0 324
26. वही0 16/53, पृ0 324